भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2135

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत प्रशिक्षण

2135. श्री संजय दिना पाटील:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना के अंतर्गत बहु-क्षेत्रीय जिला कार्य योजनाएँ संचालित की हैं;

(ख) यदि हां, तो बीबीबीपी योजना के प्रारंभ से उक्त कार्य योजनाएं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने जिलों में लागू की गई हैं;

(ग) उक्त योजना के प्रारंभ से जिला स्तरीय अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों/प्रशिक्षण सत्रों की संख्या और प्रकृति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अप्रैल से अक्तूबर, 2015 के दौरान ऐसे प्रशिक्षणों के नौ सेट आयोजित किए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) जमीनी स्तर पर उक्त प्रशिक्षणों की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए स्थापित तंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने बीबीबीपी योजना के अंतर्गत उक्त क्षमता निर्माण प्रयासों के परिणामों का आकलन करने के लिए कोई तृतीय-पक्ष मूल्यांकन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना 22 जनवरी 2015 को घटते बाल लिंगानुपात (सीएसआर) तथा बालिकाओं व महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु शुरू की गई थी। यह योजना विभिन्न हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, संलग्न और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन लाने पर केंद्रित है। इस योजना का विस्तार बहु-क्षेत्रीय कार्यकलापों के माध्यम से महाराष्ट्र सहित देश के सभी जिलों में किया गया है। इस योजना की शुरुआत से ही जिला और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति(फ्रंटलाइन) कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहे हैं।

मंत्रालय ने एक परिचालन नियमावली विकसित की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बालिकाओं के समग्र विकास के लिए माहवार विशिष्ट विषयों के साथ जिला स्तर पर

सुझाए गए अभिसरण गतिविधियों के लिए विषयगत कैलेंडर शामिल है और बालिकाओं, उनके परिवारों और समुदायों की वर्ष भर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और इस संबंध में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों को संगठित करके, बीबीबीपी एक नीतिगत पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गया है। इस आंदोलन का उद्देश्य न केवल लिंगानुपात और लिंग-आधारित भेदभाव से संबंधित तात्कालिक चिंताओं का समाधान करना है बल्कि बालिकाओं के महत्व को समझने और उनके अधिकारों और अवसरों की प्राप्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देना भी है।

नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इस अध्ययन में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' सहित विभिन्न योजनाओं की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थिरता को संतोषजनक पाया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वयन हेतु 'मिशन शक्ति' दिशानिर्देश जारी किए हैं। मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएँ हैं: महिलाओं की सुरक्षा के लिए "संबल" और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए "सामर्थ्य"।

****